न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 41/2025 G.C.M.S. No. 2025/304 दर्ज दिनांक : 16.05.2025

अपीलार्थीः

1. नरसिंगलाल पुत्र ताराचंद, जाति मेघवंशी, उम्र 65 वर्ष, निवासी मेघवालों का बड़ा बास, सादड़ी, तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थीगणः

1. लादूराम पुत्र वीराराम, जाति रेबारी, निवासी रेबारियों का झुपा, सादड़ी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
2. तहसीलदार देसूरी, जिला पाली।

एवं

राजस्व अपील संख्या : 48/2025 G.C.M.S. No. 2025/200 दर्ज दिनांक : 03.06.2025

अपीलार्थीः

1. पुखराज पुत्र वीराराम, उम्र 54 वर्ष, जाति रेबारी, निवासी रेबारियों का झुपा, सादड़ी, तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थीगणः

1. लादूराम पुत्र वीराराम, जाति रेबारी, निवासी रेबारियों का झुपा, सादड़ी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
2. नरसिंगलाल पुत्र ताराचंद, जाति मेघवंशी, उम्र 65 वर्ष, निवासी मेघवालों का बड़ा बास, सादड़ी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
3. तहसीलदार देसूरी, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2024 बअनवान लादूराम बनाम नरसिंगलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.04.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति।

पैरोकार–

1. श्री रामलाल भाटी, श्री अशोक प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री श्यामसिंह सोलंकी, श्री मुस्ताक खान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 20.02.2026

अपीलान्ट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता ये दोनों अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2024 बअनवान लादूराम बनाम नरसिंगलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.04.2025 के विरूद्ध पेश की गई। दोनों अपील एक ही आदेश से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

संबंधित होने से दोनों आदेश में समरूपता हों, अतः दोनों अपील एक साथ संयोजित की जाकर एक साथ निर्णित की जा रही हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाशुदा कृषि भूमि ग्राम सादडी, पटवार क्षेत्र सादडी एक, भू–अभिलेख निरीक्षक देसूरी, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 1902 रकबा 0.7400 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में आने–जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित खसरा नम्बर 1901 रकबा 0.3500 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की जोत में से उत्तर दिशा की तरफ से माठ के सहारे–सहारे होते हुए 15 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी को नियमानुसार दिलाया जावें। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया, केवल मात्र पटवारी हल्का सादडी प्रथम द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को ही आधार मानते हुये निर्णय पारित किया है। जो तथ्य व रेकर्ड के विरूद्ध है, कारण कि नियमों अनुसार पटवारी रिपोर्ट बनाने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं हैं एवं नियमानुसार रिपोर्ट पेश नहीं की गई हैं। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं द्वारा ही आवेदन पेश किया गया है। जबकि खसरा नम्बर 1902 के खातेदार रेस्पोंडेन्ट के साथ–साथ लादूराम पुत्र विराराम भी हैं, परन्तु अपीलान्ट ने जानबूझकर उनको पक्षकार नहीं बनाया हैं, इस कारण भी पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया है एवम् अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है, ना ही अपीलान्ट का जवाब बंद किया, केवल मात्र अपीलान्ट की अनुपस्थित दर्ज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1901 रकबा 0.3500 हैक्टेयर है जो काफी कम भूमि हैं, ऐसे प्रकरणों में भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अपीलाधीन निर्णय की अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06–05–2025 को हुई, जब अपीलान्ट अपने प्रकरण की जानकारी करने हेतु अपने अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित किया, तब अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपीलान्ट को बताया कि उपरोक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02–04–2025 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिस पर अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णय की दिनांक 06–05–2025 को मांग की, जो उसी दिन अपीलान्ट को प्राप्त हो गई, तत्पश्चात अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर अपील तैयार करवाई। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील संख्या 48/2025 के अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाशुदा कृषि भूमि ग्राम सादडी, पटवार क्षेत्र सादडी एक, भू-अभिलेख निरीक्षक देसूरी, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.) के खसरा नम्बर 1902 रकबा 0.7400 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में आने-जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित खसरा नम्बर 1901 रकबा 0.3500 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की जोत में से उत्तर दिशा की तरफ से माठ के सहारे-सहारे होते हुए 15 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी को नियमानुसार दिलाया जावें। खसरा संख्या 1902 में अपीलांट का 1/2 हिस्सा स्थित है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को पक्षकार संयोजित नहीं किया है। इसलिए अपीलांट उपरोक्त निर्णय से व्यथित पक्षकार है। प्रार्थी द्वारा जिस जगह का रास्ता मांगा गया है उस जगह पर अपीलांट काबिज है। अपीलांट मौखिक बंटवाड़ा अनुसार चाहे गए रास्ते की भूमि पर काबिज है। अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई रास्ता प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं बिना बंटवाड़ा करवाए रेस्पोंडेंट संख्या 1 रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अपीलांट को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.05.2025 को हुई, तब अपने अधिवक्ता से संपर्क कर दिनांक 25.05.2025 को नकल आवेदन किया। जो दिनांक 26.05.2025 को प्राप्त हुई। धारा 5 म्याद अधिनियम एवं अपील पेश करने की इजाजत बाबत प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमाते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील संख्या 48/2025 अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दोनों अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी अपीलांट नरसिंगलाल के विरूद्ध ग्राम सादड़ी तहसील देसूरी में स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1902 में पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.04.2025 द्वारा स्वीकार कर खसरा संख्या 1901 में से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत दोनों अपील प्रस्तुत की गई।

2. अपील संख्या 48/2025 के अपीलांट द्वारा दो दिवस के विलंब के साथ अपील प्रस्तुत की गई। विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। चूंकि प्रकरण में अल्प विलंब है तथा विलंब सद्भाविक है, अतः विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. अपील संख्या 48/2025 के अपीलांट पुखराज अपीलाधीन आदेश में पक्षकार संयोजित नहीं हैं। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की इजाजत बाबत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 1902 में प्रार्थी भी सहखातेदार है, जिसे पक्षकार संयोजित नहीं करते हुए अन्य सहखोदारान लादूराम द्वारा खसरा संख्या 1902 में पहुंच के लिए रास्ते की मांग की गई। अतः प्रार्थी अपीलांट आदेश से हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार है। हमारे विनम्र मत में चूंकि उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1902 प्रार्थी एवं लादूराम की सहखातेदारी भूमि है। जिसके लिए प्रार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं करते हुए अन्य सहखातेदार लादूराम द्वारा रास्ते की मांग की गई। अतः प्रार्थी प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है जिसे सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम सादड़ी प्रथम के खसरा संख्या 1902 के सहखातेदार प्रार्थी लादूराम द्वारा खसरा संख्या 1901 में से रास्ते की मांग की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 24.10.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करने बाबत अण्डरटेकिंग लिए जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आदेशिका दिनांक 18.02.2025 के अंकन अनुसार अप्रार्थी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। आदेशिका दिनांक 02.04.2025 के अंकनानुसार अप्रार्थी असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

5. जांच प्रतिवेदन व भूनक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार देसूरी द्वारा पत्र दिनांक 12.12.2024 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह अंकित करते हुए जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई कि प्रकरण में पटवारी हल्का सादड़ी प्रथम से राजस्व रेकर्ड व मौका जांच की रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट पर पटवारी हल्का सादड़ी व प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व कर्मचारी द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया तथा जांच रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रभावित खातेदार को सूचित भी नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

किया गया। धारा 251–क के प्रकरणों के लिए यह आज्ञापक प्रावधान है कि जांच प्रतिवेदन भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व कर्मचारी से प्राप्त नहीं की जा सकती। अर्थात पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर गौर किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत नहीं हैं।

6. अपीलांट पुखराज जोकि खसरा संख्या 1902 का सहखातेदार है तथा प्रार्थी अन्य सहखातेदार द्वारा खसरा संख्या 1902 तक पहुंच के लिए रास्ते की मांग की गई हैं एवं अपीलांट सहखातेदार पुखराज को संयोजित नहीं किया गया एवं पुखराज बतौर प्रार्थी संयोजित नहीं हैं, के संबंध में हमारे विनम्र मत में चूंकि रास्ते की मांग जोत तक पहुंच के लिए की जाती हैं तथा ऐसी मांग कोई भी खातेदार/सहखातेदार द्वारा की जा सकती हैं, अभिलेख में अविभाजित आराजी की दशा में ऐसी आराजीयात के समस्त सहखातेदारान द्वारा रास्ते की मांग नहीं करने मात्र से ऐसा प्रार्थना पत्र विधिविरूद्ध नहीं माना जा सकता। अतः अपीलांट पुखराज का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि दोनों अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील बखूबी साबित होती हैं। दोनों अपील सारवान होने से एवं अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से दोनों अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील संख्या 41/2025 एवं 48/2025 अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2024 बअनवान लादूराम बनाम नरसिंगलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.04.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 30.03.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी देसूरी में उपस्थित रहें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से दो कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner